**मीरजापुर पुलिस**
**प्रेस नोट**
**दिनांकः 13.09.2022**
**बच्चा चोरी की आशंका में विक्षिप्त व्यक्ति के साथ मार-पीट करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार —**

थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर पर दिनांक 13.09.2022 को वादी निरंजन पुत्र रामदास निवासी सरिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि बच्चा चोरी की अफवाह में मो0इकबाल आदि 09 नफर तथा 10-15 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मिलकर राम प्रसाद(विक्षिप्त) पुत्र वासदेव निवासी वभनी थाना वभनी जनपद सोनभद्र को गाली-गलौज, मारने पीटने व जान से मारने की धमकी दिये, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई थी। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-172/2022 धारा 147,323,504,506 भादवि व 7 आपराधिक कानून(संसोधन)अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को बच्चा चोरी की अफवाह की घटना को रोकने, जागरूक करने तथा अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है। थाना अहरौरा में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने तथा विक्षिप्त व्यक्ति के साथ मारपीट करने की उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना को अंजाम देने वालो विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक अहरौरा को निर्देश दिया गया। उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 13.09.2022 को थाना अहरौरा पुलिस बल द्वारा उक्त घटना से सम्बन्धित 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —**

1-रविदास पुत्र सुक्खु निवासी सरिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-23 वर्ष।
2-इकरार अहमद पुत्र सम्सुद्दीन निवासी सरिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-24 वर्ष।
3-जुमन पुत्र पनर निवासी सरिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-24 वर्ष।
4-मो0 इकबाल पुत्र सम्सुद्दीन निवासी सरिया थाना अहरौरा मीरजापुर, उम्र करीब-31 वर्ष।
5-सूरजभान पुत्र रामसरन कुशवाहा निवासी बरौली थाना सरमथुरा जनपद धौलपुर (राजस्थान) , उम्र करीब-21 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग —**

मु0अ0स0-172/2022 धारा 147,323,504,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —**

उ0नि0 सदानन्द सिंह यादव थाना अहरौरा मय पुलिस टीम।